

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.एस

अपील सं. 70/ 2020 (75 एलआर) बालूसिंह बनाम राजस्थान सरकार
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2020/00095)

बालूसिंह पिता देवीसिंह निवासी बिलावली तहसील गंगधार जिला झालावाड

..... अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार तहसील गंगधार जिला झालावाड
राजस्थान

..... रैसोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार गंगधार

दिनांक 13.11.2019 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 281 /2019

उपस्थित :

- 1 अपीलान्त की ओर से अधिवक्ता श्री तंवर सिंह झाला ।
- 2 रैसोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री मुकेश जैन ।

निर्णय

दिनांक 24 02 2021

- 1 यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार गंगधार के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 281/ 2019 में पास्ति आदेश दिनांक 13.11.2019 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है ।
- 2 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गंगधार के समक्ष धारा 91 राजस्थान भू-राजस्थान अधिनियम 1956 के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 281/ 2019 पटवारी हल्कर भाटखेडी की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ । प्रकरण दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी को नोटिस जारी किया परन्तु अपीलान्त की बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुआ प्रकरण में एक तरफ कार्यवाही कर दिनांक

13.11.2019 को निर्णय पास्ति किया गया कि बालू पिता देवीसिंह जाति राजपूत निवासी बिलावली तहसील गंगधर जिला झालावाड़ द्वारा इस वर्ष संवत 2076 में खसरा नं. 419 की 1.03 बीघा किस्म चारगाह पर कब्जा कर घास बोकर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी द्वारा गत वर्ष संवत 2075 में भी अतिक्रमण किया था जिसके फलस्वरूप इसे धारा 91 एलआरएक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर मिसल नं. 1703 निर्णय दिनांक 11.03.2019 से बेदखल कर राशि 300/- शास्ति क्रयम की गई थी। अतिक्रमी द्वारा पुनः इस वर्ष भी अतिक्रमण कर लिया गया है। इस प्रकार का अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। पटवारी हल्का भाटखेडी के बयान लिये जाकर शामिल पत्रावली कराए गए। पटवारी हल्का के बयान से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। अतः अप्रार्थी को एलआर एक्ट 1956 की धारा 91 के अंतर्गत ग्राम बिलावली की आराजी खसरा नं. 419 रकबा 1.03 बीघा किस्म चारगाह पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं साथ ही लगान 1.27 का 50 गुणा 300 रु. पेनल्टी भी क्रयम की जाती है। फसल को जप्त राज कस्वा कर नीलामी के आदेश दिये जाते हैं। राशि की मांग क्रयमी पटवारी व टी.आर.ए. को कस्वाई जावे साथ ही अप्रार्थी का ग्राम बिलावली की आराजी खसरा नं. 419 रकबा 1.03 बीघा किस्म चारगाह भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने के कारण अप्रार्थी को एक माह (30 दिन) के सिविल क्ररवास सजायाब किया जाता है। वारंट गिरफ्तारी थानाधिकारी गंगधर को भिजवाए गए। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

- 3 उक्त अपील सबजेक्ट टु लिमिटेडन दर्ज की जाकर रेषों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
- 4 अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री तंवर सिंह झाला ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय मनमाना कंप्रेसयस तथा पस्वर्स होने तथा पत्रावली पर आयी साक्ष्य विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पास्ति किया गया है जबकि पटवारी ने अपीलान्ट की मौजुदगी में पैमाइश नहीं की है। अपीलान्ट का कोई कब्जा आराजी खसरा नम्बर 419 की 1.03 बीघा किस्म चारगाह भूमि पर नहीं है, तथा पेनल्टी की राशि भी जमा कर दी गयी है, तथा कब्जा छोड़ने का प्रमाण पत्र माननीय न्यायालय में पेश कर देगा। अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया तथा बिना प्रार्थी के जवाब लिए व बिना साक्ष्य लिए प्रार्थी की गैर मौजुदगी में ही एक तरफा निर्णय पास्ति किया गया। अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.11.2019

- का ज्ञान सर्वप्रथम तब हुआ जब पुलिस दिनांक 20.12.2019 को तलाश करने आई। अपीलांत के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपील अपीलान्त अंदर मियाद मानी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पास्ति निर्णय विधि विरुद्ध एवं एकतरफा होने से अपील स्वीकार फरमा कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.11.2019 अपास्त किया जावे। प्रा0पत्र धार 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पृथक से अपील के संलग्न है
- 5 रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री मुकेश जैन ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश विधि अनुसार पास्ति किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपीलांत पश्चातवर्ती अतिक्रमी है, जिसके समर्थन में रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध है तथा पटवारी हल्का की साक्ष्य ली गई है जो पर्याप्त है। कब्जा छोड़ने का कोई शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है। अतः अपील निरस्त करने का निवेदन किया।
 - 6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।
 - 7 अपीलान्त के अधिवक्ता ने अपील के साथ धार-5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। प्रकरण के तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के मध्य नजर एवं रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता द्वारा प्रा0पत्र का कोई जवाब या खण्डन में काउंटर शपथ पत्र पेश नहीं करने के कारण अपीलांत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धार-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।
 - 8 अपीलांत के अधिवक्ता ने अपील में पहला तर्क यह दिया है कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का समूचित अवसर नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन पर पाया गया कि न्यायालय द्वारा अपीलान्त को दिनांक 13.11.2019 को तहसील कार्यालय गंगधार पर उपस्थित होने हेतु विधि अनुरूप नोटिस जारी किया था, जिसकी तामील स्वयं बालूसिंह को हुई है इसलिये वकील अपीलान्त का पहला तर्क मानने योग्य नहीं है।
अपीलांत के अधिवक्ता ने अपील में दूसरा तर्क यह दिया है कि अपीलान्त का कोई कब्जा आरजी खसरा नम्बर 419 की 1.13 बीघा किस्म चारगाह भूमि पर नहीं है, तथा पेनट्टी की रश्मि भी जमा कर दी गयी है, तथा कब्जा छोड़ने का प्रमाण पत्र माननीय न्यायालय में पेश कर देगा। अपीलांत के अधिवक्ता के अनुसार यदि अपीलान्त का कोई कब्जा उक्त आरजी खसरा नम्बर पर नहीं है तो पेनट्टी रश्मि जमा करने का क्या अभिप्राय है, यह विरोधाभास। साथ ही कब्जा छोड़ने का कोई प्रमाण पत्र न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। इसलिए अपीलान्त के अधिवक्ता का यह तर्क मानने योग्य नहीं है।

- 9 उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील मानकर एक पक्षीय कार्यवाही की गई है, अपीलान्त के अधिवक्ता ने जो तर्क दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया और अपीलान्त की गैर मौजूदगी में एक तरफा निर्णय पास्ति कर दिया जो कि स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को निर्धारित तिथि को उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया गया था जिसके क्रम में अपीलान्त को निर्धारित दिनांक को उपस्थित होकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिये था। इस संबंध में भी कोई ठोस साक्ष्य विद्वान अधिवक्ता द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किये हैं। अपीलान्त का अतिक्रमण होना प्रमाणित है क्योंकि उसके द्वारा जुर्माना राशि जमा करा दी है। उक्त आरजी पर अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से होती है। चूंकि अपीलान्त द्वारा सम्वंत 2075 में भी उक्त आरजीयात पर अतिक्रमण किया गया था जो पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अपीलान्त द्वारा इस अपील में जो आक्षेप उठाये गये हैं, उनमें भी ऐसे कोई कानूनी बिन्दु नहीं है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गंगधर द्वारा पास्ति निर्णय दिनांक 13.11.2019 में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील सास्तीन एवं आधास्तीन प्रतीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।
- 10 अतः अपील अपीलान्त सास्तीन एवं आधास्तीन होने से खारिज की जाती है।

(दातारम)

अतिरिक्त जिला कलक्टर

झालावाड़

- 11 निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दातारम)

अतिरिक्त जिला कलक्टर

झालावाड़